अध्याय - 9

जीवन बीमा के उपयोग

- 1. विवाहिता महिला सम्पत्ति अधिनियम (डॅच्। बज)
- ः विवाहिता महिला सम्पत्ति अधिनियम, 1874 की धारा 6, एक जीवन बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत पत्नी एवं बच्चों को लाभों की सुरक्षा प्रदान करती है। विवाहिता महिला सम्पत्ति अधिनियम, 1874 की धारा 6 न्यास निर्माण की सुविधा भी प्रदान करती है।
- 2. विवाहिता महिला सम्पत्ति अधिनियम की धारा 6 अन्तर्गत हिताधिकारी
- (क) केवल पत्नी
- (ख) संयुक्त रूप से पत्नी तथा एक या अधिक बच्चे
- (ग) एक या अधिक बच्चे
- 3. कीमैन इन्श्योरेंस
- ः यह बीमा पॉलिसी व्यापार में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति (सदस्य) की मृत्यु होने के कारण या लम्बी अक्षमता के कारण व्यापार में होने वाली वित्तीय हानि की पूर्ति के लिए ली जा सकती है।
- 4. रेहन-मुक्ति बीमा (एम आर आई)
- ः यह एक ऐसी पॉलिसी है जो आवास-ऋण लेने वालों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। यह मूलतः एक घटती हुयी अविध वाली बीमा पॉलिसी है जो कि एक ऋणी व्यक्ति द्वारा ली जाती है ताकि पूर्ण भुगतान से पहले उसकी मृत्यु हो जाने पर रेहन-ऋण बकाया राशि का भुगतान किया जा सके।